

सं. २५
नं. २ व सं. १०
अधिकार जो इस हुकम
कीतामीन में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्रीमती शोनी बनाम श्री बाबूलाल व गजरा

किस्म मुकदमा

मु0न0 07 सन 2012



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम कीतामीन में जारी हुए
२९-०८-११	<p>वकील. ए. फती. डप. / श्रीमती शोनी को मोरे से जान पत्र वास्ते आपत्ति रिपोर्ट तहसीलदार ब्यावर बाबत पैदा किया जिसकी प्रति वकील शोनी को डिप्लोमा नं. 1/32 नॉकस पत्र पर उभयपक्षों में भी भेजा को सुना गया व पत्रावली का मजलोक किया गया / पत्रावली करने आदेश जान पत्र इस दिनांक 17-09-11 को पैमा हो</p> <p style="text-align: right;">(जसमीतसिंह संघ) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर</p>	
17-9-11	<p>वकील शोनी उपस्थित / वकील शोनी अनुपस्थित / गत पैदा पर सुनी गई वरस वास्ते आपत्ति रिपोर्ट तहसीलदार ब्यावर के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का मजलोक किया गया तो पाया कि माननीय राजस राजस अजमेर के निर्णय दि. 16-08-2011 में दिए गए निर्देशों की पालना में तहसीलदार ब्यावर को पत्रावली दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। उक्त आदेशों निर्देशों की पालना करते हुए अपनी रिपोर्ट पत्रावली के साथ मौका पत्रावली किया है एवं पत्रावली की कार्यवाही के दौरान बरी एवं प्रतिवादी भी उपस्थित रहना बताया है तथा पत्रावली आदेशों भी उपस्थित रहना बताया है। मौके पर निम्नानुसार माप का पत्रावली की जा चुकी है जिसमें राजस डी. के. डेवलपमेंट को माप करवाने की कार्यवाही कावश्यकता है और हीनित नहीं किया है अतः पालना एवं अनुभव से अब इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। अतः आपत्ति खारिज करते हुए प्रकरण इसी क्रम पर डायर किया जाता है। पत्रावली केसल अनुसार दोहराव से कम हो</p> <p style="text-align: right;">(जसमीतसिंह संघ) अधि. एवं सहायक कलक्टर</p>	

